न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-82RAAJodhpur2023-32RTA225 Shaitanrma Vs Santosh etc

शैतानराम पुत्र भूराराम जी जाति जाट, निवासी– ग्राम रामपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. संतोष पत्नी भागीरथ
02. संजू पत्नी रामरतन
    जातियान् जाट, निवासीगण– बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
03. पेनी पत्नी माधाराम, जाति जाट, निवासी– मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
04. षिवदानराम पुत्र हिम्मताराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम रामपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
05. भागीरथ पुत्र माणकराम जाति जाट, निवासी– बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
06. बैंक प्रबंधक, यूकों बैंक शाखा आसोप।
07. भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 23 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 177/2022 संतोष व अन्य बनाम शैतानराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री ओमप्रकाष फड़ौदा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक, दो, चार व पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 177/2022 संतोष व अन्य बनाम शैतानराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 23 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 186 रकबा 1.6835 हैक्टेयर ग्राम रामपुरा तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या चार व पांच की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 187 एवं 186/2 में सें 15 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र दिनांक 23 जनवरी 2023 को स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 187 एवं सड़क के बीच में सरकारी भूमि है एवं सड़क से लेकर अपीलांट की भूमि तक कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है तथा न ही ऐसा कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो व्यक्ति रास्ता चाहता है तो उसे कटाणी रास्ते या सड़क से अपने खेत तक जाने के लिए पूरे रास्ते की मांग करनी आवष्यक होती है। पास में सरकारी भूमि होने का मतलब यह नहीं है कि वह रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 161/3 सरकारी भूमि में रास्ता नहीं होने के कारण एवं कटाणी रास्ते का लिंक नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खेत खसरा नंबर 187 में रास्ता देने बाबत जो आदेष पारित किया है, उसे उचित व न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 162 में से लघुतम एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध है जो दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 187 में से रास्ता दिया है, जबकि उसके पास एक छोटी सी पट्टी खसरा नंबर 186/2 है जो खसरा नंबर 186 एवं 187 के मध्य स्थित है। ऐसी स्थिति में जो रास्ता अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है, वह रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के खेत में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि खसरा नंबर 186/2 में सें कोई रास्ता नहीं दिया जा सकता है। पटवारी हल्का की रिर्पोट में भी रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध

होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से उसे नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि मौका रिपोर्ट में रास्ते की लंबाई स्पष्ट नहीं की गई है तथा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रास्ता कहां से शुरू होगा तथा कहां समाप्त होगा एवं सरकारी भूमि में कहां से रास्ता लिया जायेगा। कानूनन बिना दूरी का आंकलन किये रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेष विधि विरूद्ध एवं धारा 251–ए की मंषा के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. की ओर से वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 23 जनवरी 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.05.2024 एवं अद्यतन जमाबंदी की प्रति पेष कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि बलदेवराम पुत्र बुगाराम एवं भतु पत्नी कानाराम को बेचान कर दी गई है। वकील रेस्पोडेंट्स ने विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली मौका फर्द दिनांक 14.12.2022 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स की खातेदारी खसरा नंबर 186 में आवागमन हेतु मौके पर नीले रंग में वैकल्पिक रास्ता दर्षाया गया है जो केवल 20 फीट दूरी में अवरूद्ध बताया गया है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते के बजाय खसरा नंबर 162 में से लघुतम रास्ते का भी विकल्प उपलब्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन रास्ता एवं रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 186 के मध्य खसरा नंबर 186/2 की भूमि उपलब्ध है, जिसमें से किसी प्रकार के रास्ते का

आदेष पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन रास्ते में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की निरंतरता एवं मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेष पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेष विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा खसरा नंबर 186 की भूमि का बेचान किया जा चुका है। नवीन क्रेतागण/खातेदारान् द्वारा अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया है। जिससे साबित होता है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 177/2022 संतोष व अन्य बनाम शैतानराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 23 जनवरी 2023 खारिज किया जाता है। साथ ही खसरा नंबर 186 के नवीन क्रेतागण/खातेदार अपनी आवष्यकता हेतु निकटतम रास्ते बाबत भविष्य में नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर